बिज़नेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली | बुधवार, 2 नवंबर 2022

आरईसी REC

आरईसी लिमिटेड (भारत सरकार का महारत्न उद्यम)

सीआईएन: L40101DL1969GOI005095 | जीएसटी: 06AAACR4512R3Z3

वित्तीय वर्ष 2022–23 के अंतरिम लाभांश के लिए रिकॉर्ड तिथि की सूचना

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) विनियमावली, 2014 के नियम 10 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसरण में, एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी ने गुरुवार, 27 अक्टूबर, 2022 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा घोषित किया गया है, वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए ₹5/– प्रति इक्विटी शेयर की दर से अंतरिम लाभांश के भुगतान के उद्देश्य के लिए शेयरधारकों की पात्रता की गणना हेतु **बुधवार, 09 नवंबर, 2022** को 'रिकॉर्ड तिथि' के रूप में निर्धारित किया है। उक्त अंतरिम लाभांश **गुरुवार, 24 नवंबर, 2022** को उन शेयरधारकों को भुगतान किया जाएगा/भेजा जाएगा, जिनके नाम (क) इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में धारित शेयरों के संबंध में बुधवार, 09 नवंबर, 2022 को कारोबारी समय की समाप्ति पर डिपॉजिटरी(यों) द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण (विवरणों) में लाभार्थी स्वामियों के रूप में; तथा (ख) भौतिक शेयरों के संबंध में बुधवार, 09 नवंबर, 2022 को सदस्यों के रजिस्टर में सदस्य के रूप में दर्ज होंगे।

इसके अतिरिक्त, सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया वे अपनी ई–मेल आईडी को डिपॉजिटरी प्रतिभागियों/रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आर एंड टीए) के पास पंजीकृत/अद्यतन करा दें और वित्तीय वर्ष 2015–16 और बाद के वर्षों के लिए अंतरिम लाभांश से संबंधित भुगतान न की गई/दावा न की गई किसी भी लाभांश राशि का दावा करने के लिए आर एंड टीए अर्थात मैसर्स केफिन टेक्नॉलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट: आरईसी, सेलेनियम टॉवर–बी, प्लॉट 31–32, गाचीबॉवली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद– 500032 टेलीफोन: 91–40–67161500 से संपर्क करें अथवा **einward.ris@kfintech.com** / **balajireddy.s@kfintech.com** / **complianceofficer@recl.in** पर ई–मेल कर दें। इसके अलावा निवेशकों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे वित्तीय वर्ष 2014–15 में या इससे पहले अंतिम लाभांश के संबंध में भुगतान न की गई/दावा न की गई लाभांश राशि, यदि कोई हो तो, का दावा करने के लिए आईईपीएफ प्राधिकरण से संपर्क करें, यह अंतरित के लिए देय होगी/आईईपीएफ को पहले ही अंतरित कर दी गई है।

कृते आरईसी लिमिटेड
ह/–
(जे.एस. अमिताभ)
कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव

: गुरुग्राम
दिनांक : 1 नवंबर, 2022

टिप्पणी:– जैसा कि पूर्व में सूचित किया गया था, शेयरधारकों को अंतिम रूप से मिलने वाली लाभांश आय, आयकर के दायरे में शामिल है। तदनुसार, लाभांश का भुगतान करते समय कंपनी द्वारा आयकर अधिनियम 1961 में निर्धारित दरों के अनुसार स्रोत पर ही कर की कटौती (टीडीएस) अपेक्षित होगी। टीडीएस संबंधी प्रावधानों के अनुपालन के लिए शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे वार्षिक आधार पर फॉर्म 15 जी/15 एच जमा कर दें और अपना वर्तमान आवासीय पता, पैन कार्ड का विवरण तथा आयकर अधिनियम 1961 के अनुरूप श्रेणी आदि का विवरण अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी (प्रतिभागियों) के पास अथवा कंपनी/आर एंड टीए के पास

Business Standard

NEW DELHI | WEDNESDAY, 2 NOVEMBER 2022

आरईसी REC

REC Limited (A Maharatna Government of India Enterprise)

CIN: L40101DL1969GOI005095 | GST: 06AAACR4512R3Z3

NOTICE OF RECORD DATE FOR INTERIM DIVIDEND FOR FY 2022-23

Notice is hereby given in pursuance of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 that the Company has fixed **Wednesday, November 9, 2022** as the 'Record Date' for reckoning eligibility of shareholders for the purpose of payment of interim dividend @ ₹5/- per equity share for the financial year 2022-23, as declared by the Board of Directors in its meeting held on Thursday, October 27, 2022. The said interim dividend shall be paid/dispatched on **Thursday, November 24, 2022** to those shareholders whose names appear (a) as beneficial owners in the statement(s) to be furnished by the Depository(ies) as at the close of business hours on Wednesday, November 9, 2022 in respect of shares held in electronic form; and (b) as members in register of members on Wednesday, November 9, 2022 in respect of physical shares.

Further, members are requested to register/update their e-mail IDs with depository participant(s)/Registrar & Transfer Agent (R&TA) and contact the R&TA i.e. M/s Kfin Technologies Limited, Unit : REC, Selenium Tower-B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad–500032 Tel.: 91-40-67161500 or e-mail at **einward.ris@kfintech.com** / **balajireddy.s@kfintech.com** / **complianceofficer@recl.in** for claiming any unpaid/unclaimed dividend amount pertaining to interim dividend for the financial year 2015-16 and thereafter. Further, investors are also advised to approach the IEPF Authority for claiming unpaid/unclaimed amounts, if any, relating to final dividend for financial year 2014-15 or before, which have become due for transfer/already been transferred to IEPF.

For REC Limited
Sd/-
(J.S. Amitabh)
Executive Director & Company Secretary

Place : Gurugram
Date : 1 November, 2022

Note:- As earlier informed, dividend income is taxable in the hands of shareholders. Accordingly, the Company will be required to deduct tax at source (TDS) at the time of making payment of dividend, at the rates prescribed in the Income Tax Act, 1961. To enable compliance with the TDS requirements, shareholders are requested to submit forms 15G/15H on annual basis and update their residential status, PAN, category as per the Income Tax Act, 1961 etc. with their depository participant(s) or with the Company/R&TA at the e-mail IDs mentioned above.